विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प 1(2)न्याय / 2016 जयपुर, दिनांक 20 APR 2016

:: अधिसूचना ::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, राज्य सरकार इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(8) न्याय/80 दिनांक 26.12.1985, क्रमांक प.9(6) न्याय/98 दिनांक 31.03.1998 एवं क्रमांक प.2 (4) न्याय/2014 दिनांक 29.06.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु उपरोक्त अधिसूचनाओं द्वारा सृजित एवं स्थापित पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 व 2, जयपुर का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	पारिवारिक न्यायालय संख्या 1, जयपुर	राजस्व क्षेत्र जयपुर तहसील
2	पारिवारिक न्यायालय संख्या 2, जयपुर	जयपुर महानगर क्षेत्र (जयपुर तहसील को छोड़कर) यानि कि राजस्व क्षेत्र चाकसू, सांगानेर, बस्सी, आमेर तहसीलें

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/2016/ 564 dated 21.4.2016

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench, Jaipur and Registrar Class./CPC for upload the same on high court website.
2. District Judge, Jaipur Metro./ District.
3. Family Court No.1 & 2, Jaipur.
4. All administrative sections of Rajasthan High Court, Jodhpur.

21/4/16

REGISTRAR (ADMN.)

प्रभारी अधिकारी
जिला एवं सेशन न्यायालय
जयपुर

जिला न्यायालय जयपुर
क्रमांक 10035
दिनांक 29.07.16

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

जयपुर, दिनांक 25.07.2016

क्रमांक प.2(4)न्याय/2015

:: अधिसूचना ::

इस कार्यालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13.06.2016 में संशोधन/पुर्नस्थापित करते हुए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा, निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है, जिनका स्थानीय क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 में अंकित अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाता है:–

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	स्थानीय क्षेत्राधिकार
1	पारिवारिक न्यायालय, संख्या–2, बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
2	पारिवारिक न्यायालय, संख्या–3, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
3	पारिवारिक न्यायालय, संख्या–2, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।
4	पारिवारिक न्यायालय, संख्या–3, कोटा	कोटा	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर अन्तरित प्रकरणों की सुनवाई की जायेगी।

नोटः वर्तमान में कार्यरत पारिवारिक न्यायालय, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय, कोटा का नाम परिवर्तित कर पारिवारिक न्यायालय, संख्या–1, बीकानेर एवं पारिवारिक न्यायालय, संख्या–1, कोटा किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बेंच, जयपुर।
7. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेशन न्यायाधीश/पुलिस कमीश्नर/पुलिस अधीक्षक, बीकानेर/जयपुर महानगर/जयपुर जिला/कोटा।
8. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. महानिदेशक आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ (सी.डी. सहित)।
13. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
14. रक्षित पत्रावली।

25-07-16

(डॉ0 कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांकः-प.1(1)न्याय/2020 जयपुर, दिनांक 31.10.2020

अधिसूचना

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, उक्त अधिनियम द्वारा पारिवारिक न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों व क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने हेतु, एतद्द्वारा निम्नलिखित स्थानों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर के पारिवारिक न्यायालयों का सृजन एवं स्थापन करती है-

क्र.सं.	नवसृजित न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 4, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
2.	पारिवारिक न्यायालय, संख्या 5, जयपुर	जयपुर	राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

नोट- उपरोक्त न्यायालयों का क्षेत्राधिकार राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

31.10.2020

(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/05/2017/1490 **Date: 19/11/2020**

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Chief Metropolitan Magistrates.
4. Concerned Courts.
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ SC Estt/ Statistics/ Budget/ Building, Rajasthan High Court, Jodhpur
6. A.O.J. Computer Cell, Rajasthan High Court, Jodhpur (for uploading the same on high court website).

Estt

19/11/2020

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 24 AUG 2022

::अधिसूचना::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस बाबत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुए, जयपुर महानगर प्रथम एवं द्वितीय न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कॉलम संख्या 2 में वर्णित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है, तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को संबंधित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करती है साथ ही उक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों की बैठक का स्थान कॉलम संख्या 3 के अनुसार एवं उनका क्षेत्राधिकार कॉलम संख्या 4 के अनुसार निर्धारित करती है:-

क.सं.	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
1	अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
2	अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर	सांगानेर	स्थानीय क्षेत्राधिकार
3	अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, बस्सी (जयपुर महानगर प्रथम)	बस्सी	स्थानीय क्षेत्राधिकार
4	अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू	चौमू	स्थानीय क्षेत्राधिकार

Estt
30/8/22

राज्यपाल के आदेश से,

24.8.22

(प्रवीर भटनागर)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/23/2022/...1369 Date 3.../8.../2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Metro. Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court Jodhpur.

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.2(1)न्याय/2022 जयपुर दिनांक 24 AUG 2022

::अधिसूचना::

पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 (सन् 1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/2014 दिनांक 05.02.2015 की निरन्तरता में, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय 1 सांगानेर, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 11, जयपुर महानगर प्रथम 2 मुख्यालय सांगानेर, अपर जिला एवं सैशन न्यायालय, बस्सी (जयपुर महानगर 3 प्रथम), अपर जिला एवं सैशन न्यायालय संख्या 10, जयपुर महानगर द्वितीय मुख्यालय चौमू को पारिवारिक न्यायालय की शक्तियां संबंधित न्यायालय के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुसार प्रदान की जाती हैं।

राज्यपाल के आदेश से,

(प्रवीर भटनागर)
प्रमुख शासन सचिव

Estt.
30/8/22

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. Gen./II/23/2022/1361 Date: 30/08/2022

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Conf./ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Computer Cell (for uploading the same on high court website) Rajasthan High Court Jodhpur.

30/8/2022
REGISTRAR (RULES)